

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

क्रमांक File-1/1/4/0004/2024-Sec-1-10:: वन विभाग के आदेश एफ 1/1/4/0035/2023/1-10, दिनांक 10.08.2023 द्वारा श्री मधु गवले, वनरक्षक का स्थानांतरण सामान्य वनमण्डल डिण्डोरी से कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला किया गया। जिसके विरुद्ध श्री मधु गवले, वनरक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक WP/20714/2023 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

In view of the aforesaid, without expressing any opinion on merit, the resent writ petition stands disposed of with a direction to the respondent No.1 to take a decision on the petitioner's representation, which is contained in Annexure-P/6, dated 12.08.2023 within a period of three weeks from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

If certified copy of this order is not produced before the respondent No.1 within 7 working days from today, this order shall lose its efficacy automatically.

For a period of 30 days or till decision on representation by the respondent No.1 on the representation (whichever is earlier) the petitioner shall be allowed to continue at his present place of posting i.e. General Forest Division, Dindori, provided no one has joined in his place.

3/ श्री मधु कुमार गवले, वनरक्षक द्वारा दिनांक 12.08.2023 को निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया:-

आवेदक को नियुक्ति जिले के अंदर की गई है और उसके वरियता सूची जिला स्तर पर निर्धारित होकर वन संरक्षक वन वृत्त जबलपुर के आदेश क्रमांक /स्था./114 जबलपुर दिनांक 10.08.2023 के तहत आवेदक को वन रक्षक पद से प्रभारी कार्यवाह वनपाल के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः आवेदक वन रक्षक के पद पर पदस्थ नहीं रह जाने से स्थानांतरण आदेश स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य है।

कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला स्थानांतरण किये जाने पर प्रभारी कार्यवाहक वनपाल के रूप में सहायक परिक्षेत्र वृत्त के उच्चतर पद के लाभ से वंचित हो जायेगा तथा कार्यवाहक प्रभार धारण करने की अवधि में उच्च कार्यवाहक पद की वर्दी धारण करने से वंचित रह जायेगा तथा नवीन पद प्रभारी कार्यवाहक वनपाल की प्रत्येक वनमंडल/ इकाई में पृथक से वरीयता सूची संधारित होगी जिसकी वरिष्ठता से वंचित हो जायेगा।

वन संरक्षक जबलपुर के आदेश दिनांक 10.08.2023 के पूर्व जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल डिण्डौरी द्वारा म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1/2021/59, दिनांक 14.03.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9, दिनांक 24.06.2021 के बिन्दु क्र. 13 के निर्देशानुसार दिनांक 07.07.2023 को आदेश क्र./स्था./580 डिण्डौरी के पालन में पृ.क्रमांक 4561 दिनांक 07.07.2023 एवं जारी दिनांक 01.08.2023 के अनुसार आवेदक को मेंहदवानी से करंजिया स्थानांतरित किया जा चुका था। उसके बाद पुनः स्थानांतरण प्रतिबंधित अवधि में नियम के विरुद्ध स्थानांतरण किया गया है।

आवेदक की 75 वर्षीय मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पुत्र रचित गवले कक्षा 11वीं में राजूषा हायर सेकेडरी स्कूल डिण्डौरी में अध्ययनरत है जो सिकिलसेन एनिमिया से ग्रसित है। जिसको लगातार खून की आवश्यकता पड़ती है।

उक्त वर्णित स्थिति में राज्य शासन एतद्वारा आदेश एफ 1/1/4/0035/2023/1-10, दिनांक 10.08.2023 द्वारा श्री मधु गवले, वनरक्षक, सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी से स्थानांतरण कर कांन्हा टाईगर रिजर्व मण्डला की गई पदस्थापना निरस्त कर यथावत सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक: File-1/1/4/0004/2024-Sec-1-10,
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 15/03/2024

1. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0, भोपाल।
 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), वन भवन, भोपाल।
 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), वन भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी.....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11), वन भवन, भोपाल।
 6. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
 7. संबंधितद्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11), वनभवन, भोपाल।
 8. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कर्मचारी नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग